झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं०सं०– 8/ज० सं०(नि०) ल०सिं०रांची–11/2014– / राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री हरिशंकर सिंह ने जबकि वे कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रांची के पद पर पदस्थापित थे कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री हरिशंकर सिंह, कनीय अभियंता के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1930 के नियम– 55 में विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री हरिशंकर सिंह, कनीय अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री शिवानंद राय, अधीक्षण अभियंता, गेट एवं बॉध रूपांकण अंचल, रांची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची द्वारा नामित पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

4–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः–

श्री शिवानंद राय, अधीक्षण अभियंता, गेट एवं बॉध रूपांकण अंचल, रांची।

आयुक्त कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची द्वारा नामित पदाधिकारी।

श्री हरिशंकर सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–   / राँची,   दिनांक –

प्रतिलिपि– अनुबंध की प्रति के साथ श्री शिवानंद राय, अधीक्षण अभियंता, गेट एवं बॉध रूपांकण अंचल, रांची/ आयुक्त कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची/ श्री हरिशंकर सिंह, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

2–जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही के निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करे साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची से अनुरोध है कि अपने स्तर से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को नामित प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अधोहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

ह०/–
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 1302 / राँची, दिनांक – 13.03.15

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा– 3) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रांची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रांची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।
12.3.15